जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 16.03.2024

थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला जुम्मा में युवती के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 03 अभियुक्ता गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 09.03.2024 को श्रीमती वादिया अलीन पुत्री असगर निवासी मौहल्ला जुम्मा कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के साथ अकबर पुत्र असगर आदि 09 नफर अभियुक्तों द्वारा लाठी डण्डों से लैस होकर मारपीट कर जानलेवा हमला करने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा मौहल्ला जुम्मा में युवती के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 03 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ताः-

1.नाजिमा पत्नि अकबर निवासी मौहल्ला नौकुआ कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

2.मैफरीन पत्नि मनोवर निवासी मौहल्ला काचपुल थाना देहली गेट जनपद मेरठ।

3.आसमा पत्नि शाहिद उर्फ वकील निवासी मौहल्ला काचपुल थाना देहली गेट जनपद मेरठ।

अपराधः-

1.मु0अ0स0 104/24 धारा 323,379,307,504,506,34 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.म0उ0नि0 श्रीमती शिल्पी चौधरी थाना कैराना जनपद शामली।

4.म0का0 रिशा थाना कैराना जनपद शामली।

5.म0का0 रीनू राठी थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 04 वर्ष के कारावास की सजा एवं 14,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2022 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त उमेर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम गुर्जरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा नाबालिग नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गयी थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। ***जिसके क्रम में आज दिनांक 16.03.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उमेर उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 452 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व 5000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 354/354ख भादवि में 03-03 वर्ष का कारावास व 2000-2,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम में 04 वर्ष के कारावास की सजा व 5,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।**

नाम व पता अभियुक्तः-

1.उमेर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम गुर्जरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI